संचालनालय, आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी , सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष), छत्तीसगढ, रायपुर

बी.ए.एम.एस. / बी.एच.एम.एस. / बी.एन.वाय.एस. / बी.यू.एम.एस. पाठ्यक्रम
सत्र 2019–20 में प्रवेश हेतु काउंसिलिंग कार्यक्रम

–:: द्वितीय काउंसिलिंग सूचना ::–

काउंसिलिंग स्थल :– शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय, जी.ई.रोड, रायपुर (छ.ग.)

बी.ए.एम.एस. / बी.एच.एम.एस. / बी.एन.वाय.एस. / बी.यू.एम.एस. पाठ्यक्रम, सत्र 2019–20 में भारत सरकार, आयुष मंत्रालय, नई दिल्ली / राज्य शासन से प्राप्त अनुमति तथा संबंधित विश्वविद्यालय की सम्बद्धता / अनुमति के आधार पर आयुष महाविद्यालयों की सीटों पर प्रवेश हेतु काउंसिलिंग आयोजित है। प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) (UG) 2019 में सम्मिलित एवं पात्र तथा संचालनालय आयुष द्वारा जारी विज्ञापन / सूचना दिनांक 05.08.2019 के अनुसार पंजीकृत **छत्तीसगढ़ के मूल निवासी** अभ्यर्थियों को श्रेणी / संवर्गवार काउंसिलिंग हेतु आमंत्रित किया जाता है, ऐसे उम्मीदवार जिनका (NEET) (UG) 2019 की मेरिट सूची में प्राप्तांक / पर्सेन्टाइल, श्रेणी / संवर्गवार निम्नानुसार है वे इस सूचना के आधार पर काउंसिलिंग में अवसर (चान्स) लेने हेतु उपस्थित हो सकते हैं :–

समय–सारणी

दिनांक	श्रेणी / संवर्ग		रजिस्ट्रेशन का समय	नीट प्रवेश परीक्षा के कुल प्राप्तांक / पर्सेन्टाइल
17.09.2019 (मंगलवार)	अनारक्षित	निल	प्रातः 08:30 से 10:30 तक	510 से 134 (96.8971933 से 50.0737548 तक)
		सैनिक	—"—	404 से 169 (91.1182310 से 60.0102782 तक)
		एफ.एफ.	—"—	314 से 158 (83.2232386 से 57.2299939 तक)
		दिव्यांग	—"—	176 (61.7097937)
	अजजा	निल	प्रातः 10:30 से 12:30 तक	302 से 107 (81.9056463 से 40.1017186 तक)
		सैनिक	—"—	–
		एफ.एफ.	—"—	–
		दिव्यांग	—"—	176 (61.7097937)
18.09.2019 (बुधवार)	अजा	निल	प्रातः 08:30 से 10:30 तक	403 से 107 (91.0479849 से 40.1017186 तक)
		सैनिक	—"—	–
		एफ.एफ.	—"—	–
		दिव्यांग	—"—	–
	अपिव	निल	प्रातः 10:30 से 12:30 तक	510 से 107 (96.8971933 से 40.1017186 तक)
		सैनिक	—"—	–
		एफ.एफ.	—"—	–
		दिव्यांग	—"—	–

नोट :– (1) ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम चरण की काउंसिलिंग में चयनित / उपस्थित नहीं हो सके हैं एवं जिनके अंक उपरोक्तानुसार श्रेणी / संवर्गवार दर्शाए गए अंको के अंतर्गत हैं, वे भी काउंसिलिंग में अवसर (चान्स) लेने हेतु उपस्थित हो सकते हैं।

D:\NEET 2nd Counciling\ 2019-20/adv/1

(2) किसी भी श्रेणी/संवर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने से रिक्त रह गई सीटों को छत्तीसगढ़ आयुष स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम, 2019 की कंडिका 4(6) के तहत परिवर्तित कर नियमानुसार पात्र अभ्यर्थियों से भरा जावेगा।

सभी उम्मीदवार निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ निर्धारित स्थान, तिथि एवं समय पर अनिवार्य रूप से उपस्थित होवें, ऐसा न करने पर वे प्रवेश का अवसर खो देंगे :–

1. नीट परीक्षा का प्रवेश–पत्र।
2. नीट प्रवेश परीक्षा–2019 की अंकसूची।
3. ऑनलाइन पंजीयन की प्रति।
4. दसवीं की मूल अंकसूची।
5. बारहवीं की मूल अंकसूची।
6. स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र।
7. स्थायी जाति प्रमाण–पत्र (नियम 4 (2) के अनुसार)।
8. अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु जाति प्रमाण–पत्र सहित विगत तीन वर्षो (2016–17, 2017–18 एवं 2018–19)का आय प्रमाण पत्र (जो कि शासकीय/केन्द्र शासन के कार्यालय का फार्म–16 अथवा तहसील कार्यालय से जारी किया गया हो)।
9. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का प्रमाण–पत्र। (नियम 4 (3) के अनुसार)
10. सैनिक संवर्ग हेतु जिला सैनिक कल्याण अधिकारी का प्रमाण पत्र। (नियम 4 (3) के अनुसार)।
11. अभ्यार्थियों को चिकित्सकीय उपयुक्तता सिद्ध करने के लिये प्रवेश प्राप्त करने के पूर्व अपनी चिकित्सकीय जांच करानी होगी। **इस हेतु उन्हें सिविल सर्जन द्वारा प्रदत्त चिकित्सकीय उपयुक्तता प्रमाण पत्र** प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
12. **दिव्यांगता संवर्ग** में प्रवेश का लाभ प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के **संभागीय मेडिकल बोर्ड** द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। (नियम 4 (3) के अनुसार)।
13. अध्ययन में यदि व्यवधान हो तो कारण सहित नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र (गैप सर्टिफिकेट) अनिवार्य है।
14. उपरोक्त दस्तावेजों की अभिप्रमाणित छायाप्रतियों का एक सेट एवं दो पासपोर्ट साईज **फोटो** भी साथ लावें।
15. **शैक्षणिक शुल्क :–**

(1) अभ्यर्थी को प्रवेश की समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए **शैक्षणिक शुल्क** की राशि **नगद अथवा बैंक डाफ्ट/बैंकर्स चेक** के रूप मे जमा करना अनिवार्य होगा ,जो **''प्राचार्य, शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग)''** या **"Principal, Government Autonomous Ayurvedic College, Raipur (C.G.)"** के नाम पर किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का बना हो, एकाउंटपेयी हो तथा रायपुर में देय हो।

(2) काउंसिलिंग के समय **शासकीय** आयुर्वेद महाविद्यालय, रायपुर/बिलासपुर के शुल्क का 50 प्रतिशत, सामान्य/ओ.बी.सी.के लिए **रू 8,635/–** तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए **रू. 3,235/–** तत्काल जमा करना अनिवार्य है।

(3) काउंसिलिंग के समय प्रदेश के **निजी क्षेत्र** के भारती आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय, दुर्ग/छत्तीसगढ़ आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय, मनकी राजनांदगांव के शुल्क का 50 प्रतिशत **रू. 55,620/–**, राजीव लोचन आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय चंदखुरी दुर्ग के शुल्क का 50 प्रतिशत **रू. 56,620/–**, छदामी लाल चौकसे मेमो. होम्योपैथी चिकि.

महाविद्यालय बिलासपुर के शुल्क का 50 प्रतिशत **रू. 28,140/—**, रायपुर होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय, रामकुण्ड, रायपुर के शुल्क का 50 प्रतिशत रू. **27,640/—**, महाराणा प्रताप होम्यापैथी मेडि.कालेज, न्यू राजेन्द्र नगर, रायपुर के शुल्क का 50 प्रतिशत रू. **27,140/—**, मोहसीने मिल्लत यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय, बैजनाथ पारा, रायपुर के शुल्क का 50 प्रतिशत **रू. 29,400/—** एवं, श्री महावीर प्राकृतिक एवं योग विज्ञान चिकित्सा महाविद्यालय, राधिका नगर, सुपेला भिलाई, दुर्ग के शुल्क का 50 प्रतिशत रू. **27,640/—** तत्काल जमा करना अनिवार्य है।

(4) **शैक्षणिक सत्र 2019—20 हेतु फीस का निर्धारण प्रकियाधीन है, अंतर की रााशि उभयपक्ष (संबंधित महाविद्यालय/छात्र—छात्रा) को मान्य होगा।**

(5) **काउंसिंलिंग के समय पाठ्यकम/महाविद्यालय का चयन करने पर निर्धारित शुल्क की 50 प्रतिशत राशि तत्काल जमा न करने पर अभ्यर्थी चयन का अवसर खो देगा।**

(6) **शुल्क की शेष राशि अभ्यर्थी को प्रवेश के समय महाविद्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।**

नोट :— (1) यदि कोई सेमेस्टर एक वर्ष छः माह का है तो अभ्यर्थी से अनुपातिक एक वर्ष छः माह का शुल्क लिया जावेगा ।

(2) सीटों का विस्तृत विवरण काउंसिलिंग स्थल पर काउंसिलिंग के समय चस्पा किया जावेगा।

(3) **काउंसिलिंग के दौरान उन्हीं महाविद्यालयों की सीटों पर आबंटन किया जाएगा, जिन्हें भारत सरकार/ राज्य शासन से अनुमति तथा संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता/निरंतरता प्राप्त होगी। माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर/शासन द्वारा किसी आयुष महाविद्यालय हेतु काउंसिलिंग/प्रवेश के संबंध में किसी प्रकार का कोई आदेश पारित किया जाता है, तो तद्नुसार कार्यवाही की जावेगी।**

(4) आयुष पाठ्यकमों में प्रवेश हेतु उच्चतम आयु सीमा का अंतिम निर्धारण माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर यायिका कमांक SLP(C) 14320/2018 मे पारित अंतिम निर्णय के अध्याधीन होगी।

(5) **काउंसिलिंग में चयनित अभ्यर्थियों को दिनांक 20.09.2019 तक संबंधित महाविद्यालयों में प्रवेश लेना अनिवार्य है, अन्यथा चयन स्वयमेव निरस्त हो जावेगा।**

संचालक

आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी,
सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) छत्तीसगढ़